न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।

सं0 562 निष्पादित तिथि 06.5.19

शेख अमीरुद्दीन
-बनाम-
गौहर हुसैन वगैरह

# आदेश पत्रक

देखें अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

सन्

जिला साहेबगंज सं0

केश का प्रकार मुटेशन अपील वाद सं. 08/2018-19

| क्रमांक एवं आदेश की तिथि<br>1 | पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर<br>2 | आदेश पर की गई कारवाही के बारे में टिप्पनी तारीख सहित। 3 |
|---|---|---|
| 25.10.18 | अपीलार्थी शेख अमीरुद्दीन, पिता- स्व० शेख रहमतुल्ला, सा०- छोटी कोदरजन्ना, पो०- गंगा प्रसाद, थाना- साहेबगंज (मु०), जिला- साहेबगंज, झारखण्ड ने अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर विपक्षीगण 1. गौहर हुसैन, 2. जाकिर हुसैन, दोनों पिता शेख सिराज, 3. अब्दुल सत्तार, पिता- स्व० शेख जुम्मन, तीनों सा०- छोटी कोदरजन्ना, पो०- गंगा प्रसाद, थाना- साहेबगंज (मु०), जिला- साहेबगंज, झारखण्ड के विरुद्ध इस न्यायालय में अंचलाधिकारी, साहेबगंज के नामान्तरण वाद के आदेश तिथि 02.08.18, वाद सं.- 229/2018-19 के खिलाफ वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। देखा।<br>अपील की अवधि समाप्त हो चुकी है अतः समयपश्चात हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 05 के अन्तर्गत अपील स्वीकृत करते हुए वाद को अंगीकृत किया जाता है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग करें।<br>अभिलेख दि0 22.11.18 को रखें।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>उपसमाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज। उपसमाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज। | 22.11.18<br>20.12.18<br>10.01.19<br>31.01.19<br>11.02.19<br>ज्ञापांक 783/सी.की. 25.10.18<br>XI-14 25.10.18<br>25.02.19<br>11.3.19<br>28.3.19<br>15.4.19<br>आदेशार्थ |
| 22.11.18 | अभिलेख उपस्थापित।<br>अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा हाजरी दी गई। विपक्षी अनुपस्थित। बाद में विपक्षी की ओर से वकालतनामा एवं हाजरी दी गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। याचित अभिलेख अप्राप्त।<br>अभिलेख दि0 20.12.18 को रखें।<br>उपसमाहर्ता भू0 सु0 | |
| 20.12.18 | अभिलेख उपस्थापित।<br>उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई।<br>अभिलेख दि0 10.01.19 को रखें।<br>उपसमाहर्ता भू0 सु0 | |

Scanned with CamScanner

| क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1 | पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3 |
|---|---|---|

06.05.2019

## न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।

**मुटेशन अपील वाद सं0–08/18–19**

शेख अमीरुद्दीन–बनाम–गौरुल हसन वगैरह

**अपीलार्थी**

शेख अमीरुद्दीन, पिता–स्व0 शेख रहमतुल्ला,
साकिन–छोटी कोदरजन्ना, पोस्ट–गंगा प्रसाद,
थाना–साहेबगंज (मु0), जिला–साहेबगंज। झारखंड।

**विपक्षीगण**

1 गौरुल हसन, पिता–स्व0 शेख सिराज, 2. जाकिर हुसैन,
पिता–शेख सिराज एवं 3. अब्दुल सत्तार, पिता–स्व0 शेख जुनाब
तीनों साकिन–छोटी कोदरजन्ना, तीनों पो0–गंगा प्रसाद, तीनों
थाना–साहेबगंज (मु0) जिला–साहेबगंज, झारखंड।

**–:: आ दे श ::–**

यह अपील अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–25.10.2018 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के मुटेशन वाद के आदेश तिथि–02.08.2018 मुटेशन वाद सं0–229/2018–19 के विरुद्ध दायर किया गया। अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर विलम्बक्षान्त हेतु आवेदन पर सुनने के पश्चात् विलम्ब क्षान्त करते हुए अपील वाद को अंगीकृत किया गया। उभय पक्ष को न्यायालय द्वारा नोटिश तामिला करायी गयी। उभय पक्ष अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी को और न ही अपीलार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सूचना अर्थात नोटिश नहीं दी गई। जबकि मुटेशन करने के संदर्भ में 16 आना रैयत को नोटिश निर्गत कर आपत्ति की मांग की जानी है। विपक्षीगण ने बड़ी ही चतुराई से अपीलार्थी (घर के एक हिस्सेदार) के संज्ञान में मामला को नहीं लाया और चुपचाप खरीद बिक्री का कार्य करते हुए मुटेशन करवाने का कार्य किया। अतएव इस आधार पर निम्न न्यायालय (अंचल) का मुटेशन आदेश अपास्त योग्य है।

इस संबंध में विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि बिक्रेता जाकीर हुसैन, पिता–स्व0 शेख सिराज एवं विक्रेता अब्दुल सत्तार, पिता–स्व0 शेख जुनाब, दोनों साकिन–छोटी कोदरजन्ना, जिला–साहेबगंज ने अपने–अपने हिस्से की भूमि केता–गौरुल हसन, पिता–स्व0 सिराज, साकिन–छोटी कोदरजन्ना के पास बेचा है। जिसका केवाला संख्या–484/दिनांक–13.02.2015 है। निम्न न्यायालय द्वारा मुटेशन करने के पूर्व मौजा के 16/आना रैयत को नोटिश निर्गत किया गया है, जिसमें दोनों बिक्रेता का हस्ताक्षर मौजूद है। इसलिए अपीलार्थी का ऐसा कहना कि विपक्षीगण चुपचाप मुटेशन करा लिया है, बिल्कुल गलत और निराधार है। अतएव अंचलाधिकारी, साहेबगंज द्वारा किया गया मुटेशन नियमानुसार सही तथा न्यायसंगत है।

पुनः अपीलार्थी का यह भी कहना है कि विपक्षी नं0–01 एक (गौरुल हसन) नें मुझे (अपीलार्थी को) बताया कि उन्होंने मौजा–मांझी कोला, जमाबन्दी नं0–126 का 04 कट्ठा 13 धूर, 196 का मात्र 01 एक कट्ठा $19\frac{1}{2}$ साढ़े उन्नीस धूर तथा 72/1 का मात्र 12 बारह धूर अर्थात तीनों ज0 नं0 मिलाकर 00–07–$4\frac{1}{2}$ (सात कट्ठा साढ़े चार धूर) जमीन का नामान्तरण करवा लिया है। इस बात को सुनकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक–28.08.2018 को अंचल अधिकारी, साहेबगंज को अपना आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया। जिस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं किया गया। बाद में बताया गया कि अभिलेख में आदेश पारित किया जा चुका है। इसलिए आप अपील हेतु

| क्रमांक एवं आदेश की तिथि<br>1 | पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर<br>2 | आदेश, कार्रवाई टिप्पणी ...<br>3 |
|---|---|---|

श्रीमान् एल0 आर0 डी0 सी0 के यहाँ अपील फाईल करें।

इसके जबाब में विपक्षी का कहना है कि जब अंचल का मुटेशन वाद सं0–229/2018–19 में दिनांक–02.08.2018 को ही अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है तो अपीलार्थी द्वारा आपत्ति आवेदन दिनांक–28.08.2018 को दाखिल किया गया पर कैसे सुनवाई हो सकता है अर्थात मुटेशन होने की तिथि से छब्बीस दिन बाद आपत्ति आवेदन दिया गया है, पर सुनवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतएव अपीलार्थी को मुटेशन होने की जानकारी रहते हुए भी ससमय आवेदन क्यों नही दाखिल किया गया ?

अतः सम्यक् विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहँचता हूँ कि अंचलाधिकारी, साहेबगंज द्वारा स्वीकृत किया गया मुटेशन वाद सं0–229/2018–2019 का आदेश तिथि–02.08.2018 बिल्कुल वैध एवं नियमतः सही है, क्योंकि दोनों जमीन बिक्रेता का हस्ताक्षर तामिला किया गया नोटिश पर मौजा के 16 आना रैयत के रुप में मौजूद है। अतएव अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए इस न्यायालय का मुटेशन अपीलवाद सं0–08/2018–19 (शेख अमीरुद्दीन–बनाम–गौरुल हसन वगै0) को खारिज/रद्द किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में इस वाद के विरुद्ध अपील दायर कर सकते हैं। यह आदेश उभय पक्ष/विज्ञ अधिवक्ता को दिखायें।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 11/7/19
उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

(हस्ताक्षर) 11/7/19
उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 11 /डी.सी.आर. साहेबगंज, दि० 11.7.19

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :–

1. अंतिम आदेश की प्रतिलिपि
2. नामान्तरण वाद सं.–229/2018–19 (गौरुल हसन) कुल [illegible] 13 तेरह पन्ने में।
(मूलअभिलेख में)

(हस्ताक्षर) 11/7/19
उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

(हस्ताक्षर) 11.7.19